

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/1421 /
चार-12-17/2017

जबलपुर, दिनांक 10 / 06 / 2020

श्रीमती आभा भट्ट सहायक ग्रेड एक/सीनियर जुडीशियल असिस्टेंट उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को खण्डपीठ ग्वालियर से प्राप्त ज्ञापन क्रमांक 4360/स्था., ग्वालियर, दिनांक 31.07.2019 एवं स्मरण पत्र क्रमांक 6024/स्था. ग्वालियर, दिनांक 22.10.2019 को क्रमशः दिनांक 03.08.2019 एवं 02.11.2019 को प्राप्त करने के उपरान्त बिना कोई कार्यवाही किये लंबे समय तक अर्थात् 03.08.2019 से 28.02.2020 तक लंबित रखने के फलस्वरूप चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में अपने कर्तव्य की प्रति सतर्क रहें एवं पुनः इस प्रकार की त्रुटि की पुनरावृत्ति न करें।


(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल
for

पृष्ठांकन क्रमांक C/1422 /
चार-12-17/2017

जबलपुर, दिनांक 10 / 06 / 2020

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/(आई.एल.), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
2. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेशकी प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
3. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम.)/स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
5. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर न्या. (स्थापना)/पेंशन, उच्च न्यायालय, म.प्र.जबलपुर,
6. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
7. श्रीमती आभा भट्ट सहायक ग्रेड एक/सीनियर जुडीशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(प्रियदर्शनी शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
for

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/1423 /

जबलपुर, दिनांक 10/05/2020
८६

श्री लकी मालवीय जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दूरस्थ शिक्षा पद्धति (Distance Education) से "NTA" (National Testing Agency) द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा "Entrance Exam (OPENMAT XLVII-2020)" में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
2. कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न जाएं तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

(राजेन्द्र कुमार वाणी)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/1424 /

जबलपुर, दिनांक 10/05/2020
८६

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. चीफ सिस्टम एनालिस्ट., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. ज्वाईंट रजिस्ट्रार(एम) (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. डिप्टी रजिस्ट्रार(एम).....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर(जुडिशियल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. श्री लकी मालवीय जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(प्रियदर्शन शर्मा)

रजिस्ट्रार (प्रशासन)

८६